



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन)

(Under Ministry of Education, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय/Regional Office

सेक्टर-जे, अलीगंज/Sector - J, Aliganj लखनऊ/Lucknow- 226 024

(DC: 0522-2745386, AC: 2745925EPABX: 0522-2745535 Fax: 2745536

Website : www.kvsroLucknow.org.in; E-mail add.: forolucknow@gmail.com

फा0- 26230/29-182/2002/क्षे0का0 लखनऊ/वित्त/12595-96


दिनांक: 03-08-2021

सूचना

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) नई दिल्ली के पत्रांक F.110230(Misc.)2021-KVS(HQ)/ACF/21371 दिनांक 30.07.2021 के आलोक में लखनऊ संभाग से सेवानिवृत्त समस्त पेंशन धारकों को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ संभाग के कार्यालय में दिनांक 10-08-2021 को अपरान्ह 02.00 बजे तक पेंशन संबंधित शिकायतों के निस्तारण किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि यदि किसी पेंशन धारक को पेंशन संबंधित कोई शिकायत हो तो संलग्न प्रपत्र में पूर्ण विवरण भरकर अपने पेंशन संस्वीकृति आदेश की प्रति के साथ दिनांक 10-08-2021 अपरान्ह 02.00 तक pensionadaltrolucknow@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें। उक्त शिकायतों को इस कार्यालय में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रेषित करें:

1. Subject of the grievance should be related to only Finance Division of KVS.
2. The matter under litigation should not be submitted as grievance.
3. The grievance should not be related to matter for which express order has not been issued by GoI/KVS.
4. The matter related to conversion from CPF to GPF should not be submitted.
5. The matter related to extension of OM dated 05.05.2009 and 26.08.2016 to the NPS Subscribers of KVS is already in the knowledge of KVS. Hence matter related to this should not be submitted.
6. Matter pending due to Vigilance/Administrative reasons should not be forwarded as grievance.
7. Only soft copy of grievance should be submitted at email ID mentioned above.


(देवेन्द्र कुमार द्विवेदी)
उपायुक्त

प्रतिलिपि

1. प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय, लखनऊ संभाग को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना संलग्न प्रारूप के साथ विद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशित कर इसका बृहद प्रसार करें।
2. श्रीमती प्रीति सक्सेना, सहायक आयुक्त, केविस लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना व संलग्न प्रोफार्मा क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाईट पर एनाउन्समेंट के अंतर्गत अपलोड करवाने का कष्ट करें।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ संभाग के कार्यालय में दिनांक 10-8-21.
को अपरान्ह 02.00 बजे से पेंशन संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु शिकायत
का विवरण

1.	नाम	
2.	पदनाम जिससे सेवानिवृत्त हुए	
3.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
4.	अंतिम विद्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए	
5.	मोबाईल नम्बर	
6.	ई-मेल	
7.	पत्राचार का पता	
8.	पेंशन सस्वीकृति आदेश संख्या एवं दिनांक	
9.	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	
10.	उक्त शिकायत के साक्ष्य के रूप में संलग्नक	